प्रेस नोट **पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद** **दिनांक 18.07.2024**

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 14-07-24 को वादी श्री गौरव त्यागी पुत्र श्री श्रद्धा राम त्यागी निवासी- 1/25 A, हरिनगर घूकना थाना नन्दग्राम गाजियाबाद ने सूचना दी कि मेरी बहन शिवानी त्यागी पुत्री श्री श्रद्धा राम त्यागी निवासी उपरोक्त द्वारा AXIS BANK में SALES EXECUTIVE की नौकरी में प्रताडना से तंग आकर आत्महत्या कर ली है, मेरी बहन द्वारा कम्पनी में त्याग-पत्र कम्पनी से मांगा गया था, परन्तु BANK द्वारा उसका त्याग-पत्र स्वीकृत नही किया गया, बल्कि गलत तरीके से मेरी बहन को टरमिनेट कर दिया गया गया, प्रताड़ना से प्रताडित होकर मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली, उक्त सूचना पर थाना नन्दग्राम पर वादी की तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत की गया।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए , थाना स्तर पर टीमों का गठन किया गया , बैंक परिसर के अधि/कर्म चारीगण से पूछताछ की गयी, सी 0सी0टी0वी0 आदि का अवलोकन किया गया, दिनांक 18-70-24 को घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त मो0 अकरम को गिरफ्तार कर लिया गया है । मो0 अकरम जो कि AXIS बैंक में SALES MANAGER के पद एवंम शिवानी का निकटम उच्चअधिकारी था व टीम लीडर था, इसके द्वारा शिवानी का त्याग- पत्र ACCEPT ना करकें बल्कि अन्य अभियुक्त ज्योति चौहान के प्रभाव में आकर शिवानी को टरमिनेट करवाया गया , जिससे की शिवानी अपने भविष्य को देखते हुए डिप्रेशन में आकर उसके द्वारा आत्महत्या कर ली गयी,गिरफ्तार अभियुक्त मो0 अकरम के विरुद्ध आवश्यक वैधनिक कार्यवाही की जा रही है।

अभि0 का नाम व पता-

(1) मोहम्मद अकरम पुत्र लियाकत हुसैन निवासी महमूदपुर माफी, तहसील बिलारी थाना मैना ठेर जिला मुरादाबाद (SALES MANAGER- AXIS BANK)

गिरफ्तार करने वाली टीम—

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना निवाड़ी पुलिस टीम द्वारा विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर ठगी करने वाले 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 30.01.2024 को थाना निवाड़ी पर वादिया की प्राप्त तहरीर जिसमें वादिया द्वारा आरोप लगाये गये कि उसके भाई देव चौधरी को विदेश में मर्चेन्ट नेवी में नौकरी दिलाने के नाम पर अभियुक्त आकाश राणा आदि द्वारा 19 लाख 91 हजार 800 रुपये ऑनलाइन व नगद के रूप में लेकर वादिया के भाई को विदेश में दुबई व ईरान में भेज देना तथा नौकरी न लगवाना तथा फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर व्हाटसएप पर डालना तथा नौकरी न मिलने पर वादिया के भाई द्वारा परेशान होकर वापस भारत आ जाना तथा वादिया द्वारा अपने रुपये वापस माँगने पर वादिया व उसके भाई को जान से मारने की धमकी देने की तहरीर के आधार पर

शिपिंग कम्पनी में नौकरी लगवाने एवं विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करके रुपयों का गबन करने के सम्बन्ध में थाना निवाड़ी पर अभियोग पंजीकृत किया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना निवाड़ी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 17.07.2024 को मुखबिर की सूचना पर विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर ठगी करने वाले वांछित अभियुक्तों 1.आकाश राणा पुत्र शालेन्द्र राणा , 2. विकास राणा पुत्र शालेन्द्र राणा निवासीगण धनौरा सिल्वर नगर थाना बिनौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग बेरोजगार नवयुवकों को शिपिंग कम्पनी/मर्चेंट नेवी में नौकरी लगवाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार करके विदेशों में भेज देते है। जब उनकी वहां पर नौकरी नहीं लगती तो वे परेशान होकर वापस आने की जिद करते है तथा हम उनका वापसी का टिकट कराने के लिये अलग से पैसे लेते है तथा नौकरी लगवाने के नाम पर जो रुपये हम लेते थे उनको वापस नहीं करते थे।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता</u>

1. आकाश राणा पुत्र शालेन्द्र राणा निवासी धनौरा सिल्वर नगर थाना बिनौली जनपद बागपत , उम्र करीब 23 वर्ष
2. विकास राणा पुत्र शालेन्द्र राणा निवासी धनौरा सिल्वर नगर थाना बिनौली जनपद बागपत , उम्र करीब 21 वर्ष

<u>अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग</u>

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना निवाड़ी पर धोखाधड़ी के संबंध में 01 अभियोग तथा थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ में धोखाधड़ी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत हैं।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम</u>

थाना निवाड़ी पुलिस टीम

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार।

दिनांक 16.07.2024 को थाना मुरादनगर पर सूचना प्राप्त हुई कि गार्द में नियुक्त आरक्षी सशस्त्र पुलिस पम्मी के द्वारा नगर पालिका परिषद मुरादनगर के गार्द रुम में अपने सरकारी शस्त्र राइफल से स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई। आरक्षी के द्वारा आत्महत्या से पूर्व बनाया गया एक विडियो प्राप्त हुआ है , जिसमें आरक्षी के द्वारा खुद को अमित पुत्र महीपाल व उसके घर के सामने रहने वाली एक लड़की व लड़की की सहेली सोनिया उर्फ गुड्डनके द्वारा पिछले 02 वर्ष से मानसिक एवं आर्थिक रुप से प्रताड़ित किया जाना बताया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर सुसंगत धाराओं में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी।

तत्पश्चातथाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना व मैनुअल इनपुट के माध्यम से वांछित 02 महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार कर आज दिनांक 18.07.2024 को माननीय न्यायालय रिमांड हेतु भेजा गया।अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u> अभियुक्ता प्राची ने पूछताछ पर बताया कि मैं पिछले करीब 03 साल से मृतक कांस्टेबल पम्मी के साथ रिलेशनशिप में थी। इस बात की जानकारी मेरे द्वारा मेरी दोस्त सोनियाउर्फ गुड्डन

व मेरे गांव के पारिवारिक तहेरे भाई अमितपुत्र महीपाल को दी गई थी। मैं , सोनियाउर्फ गुड्डन व अमितके साथ मिलकर पम्मी से पैसे की मांग करते थे, जिसपर पम्मी ने मुझे कई बार करके लाखो रुपये दे दिये थे। मैं पम्मी से और पैसो की मांग करने लगी जब वो पैसे देने से मना करने लगा तो तीनो ने मिलकर उसे बलात्कार के मुकदमें मे फंसाने की योजना बनाई, फिर मैंने उसे बलात्कार के मुकदमें में फसाने की धमकी दी थी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्ता–

1.प्राची उम्र करीब 20 वर्ष पुत्री मुकेश कुमार निवासी ग्राम औरंगाबाद अहीर थाना गुलावटी जिला बुलन्दशहर

2.सोनिया उर्फ गुड्डन उम्र करीब 22 वर्ष पुत्री जसवीर सिंह नि0 ग्राम भावा भटौना थाना कोतवाली हापुड जनपद हापुड हाल पता म0न0 43 ड्रीम सिटी सरधना रोड थाना कंकरखेडा मेरठ

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा Fun Phone call Application के माध्यम से धमकी देकर रंगदारी मांगने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 13.07.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी विकास भाटी द्वारा तहरीर दी गई कि एक अभियुक्त द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी देने तथा मेरे रिश्तेदार व सगे सम्बन्धी को धमकी भरे कॉल करने तथा एक Fun Phone call Application के माध्यम से माननीय विधायक लोनी व मेरे मोबाइल नंबर डालकर Add कर वादी के उपरोक्त रिश्तेदारों को कॉल कर रंगदारी मांगना। जिसके सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम लगाई गई। तत्पश्चात दिनांक 17.07.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना में वांछित अभियुक्त जाकिर पुत्र कुतबी उर्फ कुतुबुद्दीन उम्र लगभग 38 वर्ष निवासी ग्राम टीला शहबाजपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को पाइपलाइन रोड स्थित संगम सिनेमा के खण्डर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा दिनांक 19.06.24 से 24.06.24 तक अपने पुराने नम्बरों व अपने जानने वाले सेवकराम के नम्बर से बिजेन्द्र व उसके लड़के रवि निवासी खड़खडी थाना लोनी गा0बाद को जान से मारने की धमकी देकर मार्केट चलाने व अपना काम करने के लिए 50 हजार रुपये प्रतिमाह देने के लिए फोन किये थे। उसके बाद मेरे द्वारा इन सिमों को निकाल कर तोड़कर फेंक दिया था तथा फिर मैंने दो सिम खरीदी थी इन से मैंने विकास भाटी को जान से मारने की धमकी दी थी एवं विकास भाटी के रिश्तेदार एवं सगे सम्बन्धी को भी धमकी देने हेतु व 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी एवं Fun Phone call Application के माध्यम से कॉल डायवर्ट के माध्यम से मैंने इनके नम्बरों को डायवर्जन पर डालकर धमकी दी थी एवं लोनी विधायक जी के नम्बर को भी डायवर्जन के माध्यम से कॉल डायवर्ट कर धमकी भरे कॉल किये थे। जिसके सम्बन्ध में मुझे जानकारी हुई है कि थाना लोनी बोर्डर पर मेरे खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है। इन्ही मुकदमों की वजह से मैं डरकर छुपता छुपाता घूम रहा हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

जाकिर पुत्र कुतबी उर्फ कुतुबुद्दीन उम्र लगभग 38 वर्ष निवासी ग्राम टीला शहबाजपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद

<u>बरामदगी का विवरण</u>

घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन बरामद।

<u>अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग</u>

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर में 01 रंगदारी , 01 मारपीट का अभियोग तथा थाना टीलामोड में 01 रंगदारी का अभियोग पंजीकृत हैं।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम</u>

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्या कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 17.07.2024 को थाना भोजपुर पर वादी श्री आकाश पुत्र श्री कुलदीप शर्मा निवासी कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर कमि0 गाजियाबाद ने एक लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त द्वारा वादी के पिता कुलदीप को जान से मारने की नियत से छत से धक्का दे देना जिससे वादी के पिता की मौके पर मृत्यु हो जाना। उपरोक्त सूचना पर त्वरित थाना भोजपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु टीमो का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 18.07.2024 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए साक्ष्यों के आधार पर घटना कारित करने वाले अभियुक्त 1- अमित पुत्र स्व0 अशोक निवासी भोजपुरयान कस्बा फरीद नगर थाना भोजपुर गाजियाबाद को भोजपुर फरीद नगर रोड पर स्थित अमराला गेट के पास यात्री शैड से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मेरे चाचा कुलदीप शर्मा मुझे तथा मेरे परिवार को शराब पीकर गाली-गलौच करते थे, मैने तथा मेरे परिवार द्वारा चाचा को गाली न देने के लिये कई बार समझाया था। परन्तु चाचा गाली देने से बाज नही आ रहे थे तो मैने पहले से ही प्रण कर लिया था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मै अपने चाचा को जान से मार दूंगा। दिनांक 16/17.07.2024 रात्रि को मै तथा मेरे चाचा कुलदीप शर्मा ने प्रेमचंद की छत पर बैठकर शराब पी थी।मैने कम शराब तथा अपने चाचा को अधिक शराब पिलाई थी।मेरे चाचा कुलदीप शर्मा पडौस में लगी सुन्दर की मकान की छत की मुढैल पर बैठकर पेशाब करने लगे थे तो मैने अपने चाचा कुलदीप को जान से मारने की नियत से छत से नीचे धक्का दे दिया जिस से उनकी मौके पर मृत्यु हो गयी। मैने अपने बचाव में हमारे मौहल्ले के वीरेन्द्र पुत्र धनी उर्फ धन्नीराम से विवाद चल रहा था उसे फसांने के लिये मैने उसके नाम का शोर मचा दिया था, कि उसने मेरे चाचा को छत से फैक दिया है। लेकिन सत्य यह है कि मैने ही अपने चाचा कुलदीप को छत से नीचे फैककर हत्या कर दी है।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

1. घटनास्थल से मृतक कुलदीप शर्मा का कम्बल व तकिया
2. घटनास्थल से शराब के पव्वो की 2 खाली शीशी

<u>अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग</u>

अभियुक्त के विरुद्ध थाना भोजपुर पर 01 हत्या का अभियोग एवं थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग दहेज उत्पीड़न का पंजीकृत है।

<u>नाम/पता गिरफ्तार अभियुक्त</u>

अमित पुत्र स्व0 अशोक निवासी भोजपुरयान कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र -35 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना भोजपुर पुलिस टीम

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वाँछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 17.07.2024 को थाना टीला मोड़ पर वादी की लिखित तहरीर के आधार पर वादी की पुत्री के साथ अभियुक्त रहीस पुत्र इस्लाम नि वासी मौहल्ला जमालपुर लोनी थाने के पीछे थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष के द्वारा दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए आज दिनांक 18.07.2024 को थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त रहीस पुत्र इस्लाम निवासी मौहल्ला जमालपुर थाना लोनी के पीछे थाना लोनी पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद को फर्रूखनगर तिराहे से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

रहीस पुत्र इस्लाम निवासी मौहल्ला जमालपुर लोनी थाने के पीछे थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष।

गिरफ्तारकरने वाली पुलिस टीम

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा 03 अभियुक्त गण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 02 मोबाइल व 2400/- रु0 बरामद।

दिनांक 17.07.2024 को वादी आहिल पुत्र हाकिम अली निवासी ईदगाह पसौन्डा थाना टीला मोड़ गाजियाबाद की लिखित तहरीर के आधार पर रात्रि में घर में घुसकर ताला तोड़कर तीन मोबाइल का गजात व कुछ पैसे चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण 1. शादाब उर्फ भांजा पुत्र वली मोहम्मद निवासी फतेउल्लापुर रोड़ गली नं0-32 थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ उम्र-20 वर्ष 2. अफरीन पुत्र जमशेद निवासी नरेन्द्र पार्षद वाली गली पसोंड़ा थाना टीला मोड़ गाजियाबाद उम्र-20 वर्ष व 3. शाहरुख पुत्र नूर मोहम्मद निवासी शमशाद कालोनी नियर आयशा मस्जिद पसोंड़ा थाना टीला मोड़ गाजियाबाद उम्र-24 वर्ष को डिफेंन्स कॉलोनी के पास टीला मोड़ से चोरी के 02 मोबाइल व 2400/- रु0 सहित गिरफ्तार कर किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि हम नशा करने के आदि है। जब हमारे पास पैंसे नही रहते है। तो हम अपने नशे की पूर्ति करने के लिये घरों में घुसकर मोबाइल,पैंसे आदि चोरी करके मोबाइल को बेचकर अपने नशे के खर्च की पूर्ति करते है। उस दिन रात्रि में घर में घुसकर ताला तोड़कर तीन मोबाइल व कुछ पैसे चोरी में चोरी किए थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. शादाब उर्फ भांजा पुत्र वली मोहम्मद निवासी फतेउल्लापुर रोड़ गली नं0-32 थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ उम्र-20 वर्ष ।

2. अफरीन पुत्र जमशेद निवासी नरेन्द्र पार्षद वाली गली पसोंड़ा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र-20 वर्ष ।
3. शाहरुख पुत्र नूर मोहम्मद निवासी शमशाद कालोनी नियर आयशा मस्जिद पसोंड़ा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र-24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

चोरी के 02 मोबाइल व 2400/- रु0 बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त अफरीद उपरोक्तके विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर मारपीट से सम्बन्धित01 अभियोग पंजीकृत है।
अभियुक्त शादाब उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर नकबजनी का 01 अभियोग पंजीकृत है।
अभियुक्त शाहरूख उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर 01 मारपीट व 01 बलात्कार का कुल 02 अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा घटित हत्या की घटना के 03 अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 50 व 40 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

1- दिनांक 11.04.2019 को घटित हत्या की घटना के संबन्ध में आरोपी 1.दुष्यन्त पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम काजीपुरा थाना वेवसिटी जनपद गाजियाबाद 2.इन्द्रवीर पुत्र प्रहलाद निवासी ग्राम बहादरपुर थाना सरधना जनपद मेरठ 3. आदित्य उर्फ मार्शल पुत्र इन्द्रवीर निवासी ग्राम बहादरपुर थाना सरधना जनपद मेरठ 4- आर्या उर्फ केतू पुत्र इन्द्रवीर निवासी उपरोक्त 5- श्रीमती अल्का पत्नी इन्द्रवीर निवासी उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 300/19 धारा 147/148/149/302/120 B/34 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

2- अभियोग में आरोपीगण 1. दुष्यन्त पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम काजीपुरा थाना वेवसिटी जनपद गाजियाबाद 2 . आदित्य उर्फ मार्शल पुत्र इन्द्रवीर निवासी ग्राम बहादरपुर थाना सरधना जनपद मेरठ को दिनांक 21.04.2019 को गिरफ्तार किया गया 3.इन्द्रवीर पुत्र प्रहलाद निवासी ग्राम बहादरपुर थाना सरधना जनपद मेरठ को दिनांक 10.05.2019 को गिरफ्तार कर दिनांक 15.07.19 आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

3- अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 16.07.2024 को मा0 न्यायालय ए0डी0जे0-10 जनपद गाजियाबाद द्वारा आरोपी 1.दुष्यन्त पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम काजीपुरा थाना वेवसिटी जनपद गाजियाबाद 2 . आदित्य उर्फ मार्शल पुत्र इन्द्रवीर निवासी ग्राम बहादरपुर थाना सरधना जनपद मेरठ 3.इन्द्रवीर पुत्र प्रहलाद निवासी ग्राम बहादरपुर थाना सरधना जनपद मेरठ को आजीवन कारावास व 50 व 40 हजार रूपये के अर्थदण्ड से , अर्थदण्ड ना देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया गया एंव अभि0 आर्या उर्फ केतू व श्रीमती अल्का को दोषमुक्त किया गया।